न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 155/**14 (वाद)**

GCMS No. : 2014/00523

1. श्री बंशीलाल पिता छगना खटीक निवासी विजनवास तह. मावली।

.......वादी

बनाम्

1. आर.के.भण्डारी, बी.ई.(इलेक्ट्री) सुपरीनटेन्डीज (TCC&VII) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पटेल सर्कल उदयपुर, रजि. ऑफिस विद्युत भवन जनपथ ज्योतिनगर, उदयपुर।
2. सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 220 केवी जीएसएस, देबारी, जिला उदयपुर।
3. ठेकेदार, सोना ईन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर (राज.)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री बंशीलाल, वादी स्वयं।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 26.02.2019

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 1908, 1909 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है और मैं वादी अपने खातेदारी की भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में निरन्तर चली आ रही हैं। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं किन्तु प्रतिवादीगण जबरन मेरे खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अनाधिकार रूप से बिजली के खम्भे रोपकर विद्युत लाईन निकालने पर [illegible] हो रहे है। जिसकी जानकारी मुझ वादी को होने पर मैने प्रतिवादीगण को [illegible] मना किया तो प्रतिवादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

मुझ वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वह मेरी खाते व कब्जे की जमीन में खम्भे रोपकर विद्युत लाईन निकालेगे जबकि प्रतिवादीगण को मेरे खाते व कब्जेसुदा जमीन में दखलन्दाजी करने या खम्भे रोपकर बिजली की लाईन निकालने का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही मेरे खाते व कब्जे की जमीन में खम्भे रोपकर बिजली लाईन निकालने बाबत् कोई सूचना ही दी गयी है इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

2. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। वादग्रस्त कृषि भूमि का मैं वादी खातेदार काश्तकार हूं जो मेरे कब्जे अधिकार में होकर मैं वादी उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग निरन्तर निर्बाध रूप से करता आ रहा हूं जिसमें प्रतिवादीगण को मुझ वादी की बिना अनुमति व सहमति के किसी प्रकार से खम्भे रोपने या विद्युत लाईन निकालने का कोई हक व अधिकार नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण ने नाजायज रूप से मुझ वादी को तंग परेशान करने व जमीन की उपजाऊता को कम करने की नियत से मेरे खाते व कब्जेसुदा भूमि में बिजली के खम्भे रोपने हेतु खड्डे खोदने पर उतारू हो रहे है और समझाने पर भी नहीं मान रहे। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित मुझ वादी के कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से खड्डे नहीं खोदे, बिजली के खम्भे नहीं रोपे, मुझ वादी को मेरे कब्जेसुदा एवं खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।

3. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 17.06.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मुझ वादी के खातेदारी व कब्जे की भूमि में बिजली के खम्भे रोपने के लिए खड्डे खुदवाने पर आमादा हुए तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

4. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न खड्डे खोदे, न बिजली के खम्भे रोपे, न कब्जा करे, न मुझ वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

मेरी खातेदारी की भूमि से बेदखल करे, मुझ वादी को मेरी खातेदारी व कब्जेसुदा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विकल्प में निवेदन है कि दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण जबरन मुझ वादी की खातेदारी व कब्जेसुदा भूमि पर खम्भे रोप देवे या पाये जावे तो उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाई जावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी कृषि आराजीयात में विद्युत लाईन खींचने एवं विद्युत टॉवर स्थापित करने का जबरन प्रयास करने का प्रश्न है, वह अस्वीकार हैं। साथ ही उक्त आराजीयात में बिना स्वीकृति के विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा प्रवेश कर विद्युत लाईन खींचने व टॉवर स्थापित किए जाने की जो कार्यवाही की जा रही है, उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1985 के पार्ट सेकण्ड 10 के अनुसार एवं विद्युत अधिनियम में अंकित प्रावधानों के अनुसार खातेदारी भूमि में प्रवेश करने एवं विद्युत लाईन खीचंने तथा टॉवर स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की धारा 10–डी में यह प्रावधान अंकित किया है कि यदि किसी भी काश्तकार को फसल के सम्बन्ध में कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का वाद विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्व प्रस्तुत किया जा सकता हैं, लेकिन उनको विद्युत लाईन खींचने एवं टॉपर स्थापित करने से किसी प्रकार से नहीं रोका जा सकता हैं। इसलिए जो भी विद्युत लाईन खीचंने व टॉवर स्थापित करने की कार्यवाही विपक्षी सं. 1 व 2 विभाग द्वारा की जा रही है, वह विधिक रूप से सही होने से तथा पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त होने के आधार पर की जा रही है, इसलिए इस वाद में अंकित अनुसार कोई भी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं हैं। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं।

6. यह कि वादी का कोई भी प्रथम दृष्टया प्रकरण इस आधार पर साबित नहीं है कि कोई भी विद्युत लाईन खींचने एवं विद्युत टॉवर स्थापित करने की जो कार्यवाही वादी की भूमि पर विपक्षी द्वारा की जा रही है, वह पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

विधिक प्रक्रिया अपनाए तथा राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 27.07.2011 के तहत् प्राप्त अधिकारों के तहत् की जा रही है। साथ ही वादी उक्त कृषि भूमि का मालिक नही हैं, बल्कि खातेदार किरायेदार है और उक्त कृषि भूमि का मालिक राजस्थान सरकार है और राजस्थान सरकार द्वारा विपक्षी सं. 1 व 2 को विद्युत लाईन एवं टॉवर स्थापित करने एवं नोटिफिकेशन के जरिये स्वीकृति दे दी है तो अलग से वादी से कोई भी स्वीकृति उसके किसी भूमि में प्रवेश करने हेतु विधिक रूप से लेने की आवश्यकता नहीं रहती हैं। इसलिए वादी अस्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय से विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं मात्र उसकी कृषि भूमि का कोई भाग विद्युत टॉवर स्थापित करने से प्रभावित होता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति का वाद कोम्पीटेण्ट ऑथोरिटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं। अतः इस बिनाय पर भी वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद पत्र चलने योग्य नहीं है और मय विशेष हर्जे खर्चें के खारिज किये जाने योग्य हैं साथ ही वादी सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी साबित करने में असफल रहा है क्योंकि अगर विपक्षी सं. 1 व 2 से माननीय न्यायालय द्वारा वादी के कृषि भूमि में से विद्युत लाईन खींचने व विद्युत टॉवर स्थापित करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका गया तो विपक्षी सं. 1 व 2 को अपूरणीय क्षति होगी तथा आम जनता को भी विद्युत आपूर्ति से महरूम रहना पडेगा। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु पूर्णरूप से विपक्षी सं. 1 व 2 के पक्ष में है। इन तीनों बिन्दुओं के आधार पर वादी माननीय न्यायालय से विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

7. विशेष उत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा वादी के इस वाद पत्र पर जारी किये जाने का कोई विधिक अधिकार इलेक्ट्रीसीटी एक्ट 2003 की धारा 145 में अंकित अनुसार नहीं हैं, क्योंकि उक्त इलेक्ट्री सीटी 2003 की धारा 164 में प्रदत्त अधिकारों के तहत् ही विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा वादी की कृषि भूमि पर विद्युत लाईन व विद्युत टॉवर स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है अतः विधिक रूप से विपक्षी सं. 1 व 2 को उक्त कार्य से धारा 145 विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार नहीं रोका जा सकता न ही किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए इस बिनाय पर भी वादी का वाद पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य हैं।

8. वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद धारा 188 के तहत् प्रस्तुत किया गया, जबकि कृषि भूमि राजस्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं न ही विपक्षी सं. 1 व 2 वादी की कृषि भूमि में अतिक्रमी की परिभाषा में आते हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर विपक्षी सं. 1 व 2 से वादी की कृषि भूमि में प्रवेश करने हेतु पूर्ण रूप से इजाजत दी है, इसलिए इस आधार पर भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्व चलने योग्य नहीं हैं। अतः इस बिनाय पर भी वाद पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य हैं।

9. **वादी द्वारा जवाबुल जवाब** पेश कर निवेदन किया कि विद्युत लाईन खींचने एवं विद्युत टॉवर स्थापित करने से पूर्व खातेदारी भूमि के खातेदार को नोटिस देना अनिवार्य है जबकि प्रतिवादीगण ने वादी को कभी भी कोई नोटिस विद्युत लाईन खींचने एवं विद्युत टॉवर स्थापित करने के सम्बन्ध में नही दिया। अतः प्रतिवादीगण जबरदस्ती वादी की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से बिना वादी की अनुमति के विद्युत लाईन खींचने व विद्युत टॉवर स्थापित करने की कार्यवाही कर रहे है जो सर्वथा गलत है एवं कानून के विरूद्व हैं। प्रतिवादी का यह कथन है कि प्रतिवादी पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर तथा राज्य सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 27.07.2011 के तहत् प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत वादी की खातेदारी भूमि पर विद्युत लाईन खींचने तथा विद्युत टॉवर स्थापित करने की कार्यवाही कर रहा है, सवर्था गलत हैं। वादी एक गरीब व कम पढा लिखा किसान है तथा उसे किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया हो, उसके बारे में जानकारी व ज्ञान नहीं है और न ही प्रतिवादी ने न्यायालय में इस नोटिफिकेशन की प्रति प्रस्तुत की है और न ही वादी को उपलब्ध करवाई है। अतः वादी को राज्य सरकार द्वारा किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी का ज्ञान नहीं हैं। यह है कि वादी एक निर्धन किसान है तथा उसके पास केवल 1 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि ही है जिस पर भी प्रतिवादीगणों द्वारा अवैध रूप से विद्युत टॉवर स्थापित करने व विद्युत खम्भे लगाने की कार्यवाही की जा रही है जो सर्वथा अनुचित है इससे वादी की सम्पूर्ण कृषि भूमि बेकार हो जायेगी वादी के पास उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

व उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है वह केवल उक्त कृषि भूमि पर खेती का कार्य करके ही अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रतिवादीगण द्वारा विद्युत टॉवर व विद्युत लाईन वादी के खेत में से अवैध रूप से खींचने पर वादी की सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जायेगी तथा उक्त कृषि भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो जायेगा तथा विद्युत टॉवर के समीप खेती करने पर भी करण्ट की सम्भावना निरन्तर बनी रहेगी जिस कारण उक्त कृषि भूमि पर खेती करना असंभव हो जायेगा तथा वादी अपनी ही कृषि भूमि से कृषि करने से वंचित हो जायेगा। अतः वादी की ओर से जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाबुल जबाव को रिकार्ड पर लेते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्व यह आदेश पारित किया जाये कि वे वादी को उसकी खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि पर किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेगें और न ही वादी की कृषि भूमि में विद्युत टॉवर व विद्युत लाईन खींचने की अनैतिक व अविधिक कार्यवाही करे। यदि मान्यवर द्वारा यह आदेश पारित नहीं कियागया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो में किया जाना असंभव है।

10. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज होकर वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति के बिजली खम्भे रोपने पर उतारू है, जिसका कोई हक अधिकार नहीं होने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी हैं। ....वादी
2. आया वादग्रस्त भूमि में इलेक्ट्रीसीटी 2003 धारा 164 में प्रदत्त अधिकारों के तहत् ही वादी की कृषि भूमि पर विद्युत लाईन व टॉवर स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही हैं। अतः धारा 145 विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1, 2 को रोका नहीं जा सकता है व न ही स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है वाद खारिज योग्य हैं। ....प्रतिवादीगण

11. वादी द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबन्दी पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:47:28 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रकरण में वादी की बहस सुनी गई। [illegible]रा अपनी अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहरा[illegible] स्वीकार किया जाने का निवेदन

किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा लिखित बहस मय नजीर Civil writ Petition No. 11973/2008 Smt. Nanchi Devi & Ors. Versus State, RRVPNL, Jaipur & Ors. Date of Order 18-03-09, The Electricity Act, 2003 Page 72, DNJ (SC) 1997 M.P. Electricity Board, Jabalpur vs M/S Vijaya Timber Co. Page 146 प्रस्तुत कर वादी का खारिज किये जाने का निवेदन किया।

13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी की मौखिक बहस एवं प्रतिवादीगण की लिखित बहस पर बगौर मनन किया। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा प्रस्तुत नजीरो का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार निर्णय निम्न है :–

1. आया वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज होकर वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति के बिजली खम्भे रोपने पर उतारू है, जिसका कोई हक अधिकार नहीं होने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

   उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा अपने वाद के सम्बन्ध में दस्तावेज जमाबन्दी नकल पेश की, जिसमें वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार हैं, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए बिजली के खम्भे रोपे है, जिसे हटाने का वादी को कोई अधिकार नहीं हैं। अतः उक्त तनकी वादी अपने पक्ष में आंशिक साबित करने में सफल रहा हैं। उक्त तनकी वादी के पक्ष में आंशिक साबित होती हैं।

2. आया वादग्रस्त भूमि में इलेक्ट्रीसीटी 2003 धारा 164 में प्रदत्त अधिकारों के तहत् ही वादी की कृषि भूमि पर विद्युत लाईन व टॉवर स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही हैं। अतः धारा 145 विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1, 2 को रोका नहीं जा सकता है व न ही स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है वाद खारिज योग्य हैं।

   उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा तनकी के सम्बन्ध में दस्तावेज Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam LTD Office of The Chief Engineer (T&C) Notification Jaipur, June 12, 2011 का राजस्थान गजट विशेषांक दिनांक 27.07.2011 मय नजीर Civil writ Petition No. 11973/2008 Smt.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

Nanchi Devi & Ors. Versus State, RRVPNL, Jaipur & Ors. Date of Order 18-03-09, The Electricity Act, 2003 Page 72, DNJ (SC) 1997 M.P. Electricity Board, Jabalpur vs M/S Vijaya Timber Co. Page 146 प्रस्तुत कर इलेक्ट्रीसीटी 2003 धारा 164 में प्रदत्त अधिकारों के तहत् ही वादी की कृषि भूमि पर विद्युत लाईन व टॉवर स्थापित किये हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित की जाती हैं।

14. वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी के नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज है वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि में विद्युत पोल लगाकर जमीन में दखलन्दाजी कर रहे है जिसे रोकने के लिये वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर विद्युत लाईन डाली जा रही हैं। प्रतिवादीगण का कहना है कि वह जो लाईन खींचना चाह रहे है वह लाईन जन कल्याण की श्रेणी में आती है एवं इलेक्ट्रीसिटी अधिनियम 2003 की धारा 164 एवं टेलीग्राफ अधिनियम 1855 में प्रदत्त अधिकारों के तहत् ही वादी की कृषि भूमि पर विद्युत लाईन व टॉवर स्थापित किये हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रतिवादीगण द्वारा विद्युत लाईन खींची गई हैं वह आम जन को विद्युत आपूर्ति हेतु जनहित के कार्य के अन्तर्गत राज्य सरकार के नियमानुसार खींची गई हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। वादी चाहे तो क्षतिपूर्ति हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री बंशीलाल पिता छगना खटीक निवासी विजनवास तह. मावली।

.....**वादी**

बनाम्

1. आर.के.भण्डारी, बी.ई.(इलेक्ट्री) सुपरीनटेन्डीज (TCC&VII) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पटेल सर्कल उदयपुर, रजि. ऑफिस विद्युत भवन जनपथ ज्योतिनगर, उदयपुर।
2. सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 220 केवी जीएसएस, देबारी, जिला उदयपुर।
3. ठेकेदार, सोना ईन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर (राज.)

...प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 155/14 (वाद) GCMS No. : 2014/00523

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.11.2022 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested